

आर टी आई मामला

सं. 14036/204/2014-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 4.4.2014

सेवा में,

श्री बाबर खान
निवासी-एच-443, सुंदर नगरी
शाहदरा
दिल्ली-110093

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका दिनांक 17.10.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपके ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (आई एस-IV प्रभाग से स्थानांतरित होकर इस अनुभाग में 7.03.2014 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपकी दिनांक 05.01.2013 की शिकायत इस अनुभाग में प्राप्त नहीं हुई थी।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

(चित्रा नारायण)

(चित्रा नारायण)

अवर सचिव (डी पी-1)

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. श्री रमेश कुमार सुमन, निदेशक (आई एस-11)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को - आई एस- IV के दिनांक 5 मार्च, 2014 के पत्र सं. 11034/3/2013-आई एस-IV के संदर्भ में और यह कहना है कि प्रश्नगत शिकायत के संचलन को संयुक्त सचिव (आई एस), गृह मंत्रालय को दिखाया गया है (प्रति संलग्न)। इसलिए, श्री बाबर खान के संबंध में आर टी आई आवेदन की एक प्रति आई एस प्रभाग द्वारा उपयुक्त कार्रवाई किए जाने के लिए संलग्न है।

375
प्रति

usual taken
210/582
2/4